# समझौता ज्ञापन

# 2015-16

## भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

## तथा

## नागर विमानन मंत्रालय

## निगमित योजना तथा प्रबंधन सेवाएं विभाग

## भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

**भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**

**तथा**

**नागर विमानन मंत्रालय**

**के मध्य**

**समझौता ज्ञापन**

**2015-16**

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा नागर विमानन मंत्रालय के मध्य होने वाले इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भा वि प्रा के समग्र कार्य-निष्पादन की मॉनीटरिंग करना है । भा वि प्रा का उत्तरदायित्व समझौता ज्ञापन में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा जबकि नागर विमानन मंत्रालय इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भा वि प्रा को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा ।

यह समझौता ज्ञापन निम्नलिखित 5 भागों में बंटा है:-

भाग-I उद्देश्य, ध्येय तथा लक्ष्य

भाग-II वित्तीय शक्तियों की स्वायत्तता तथा प्रत्यायोजन

भाग-III कार्यनिष्पादन मूल्यांकन लक्ष्य तथा उनका निर्धारण

भाग-IV सरकार की ओर से प्रतिबद्धता/सहायता

भाग-V समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन तथा अनुवीक्षण हेतु कार्य योजना

## 1.0 उद्देश्य, ध्येय तथा लक्ष्य

### 1.1 उद्देश्य

" राष्ट्र के आर्थिक विकास और समृद्धि में योगदान करते हुए ग्राहक की सम्पूर्ण संतुष्टि के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना उपलब्ध कराते हुए विमान यातायात सेवाओं और हवाई अड्डा प्रबंधन में संरक्षा एवं गुणवत्ता के उच्चतम स्तर प्राप्त करना ।"

### 1.2 ध्येय

विमान यातायात सेवाओं एवं हवाईअडडा प्रबंधन में नेतृत्व करते हुए विश्वस्तरीय संगठन बनाना एवं 2016 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत को एक प्रमुख केन्द्र बनाना

### 1.3 लक्ष्य

क) विमान, यात्रियों तथा कार्गो यातयात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हवाईअड्डों व विमान यातायात सेवाओं की क्षमताओं में बढ़ोतरी ।

ख) वित्तीय विस्तार तथा आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए पर्याप्त आंतरिक संसाधन उपलब्ध कराना

ग) ग्राहक संतुष्टि स्तर तक पहुंचने के लिए हवाईअड्डों की सेवा के मानकों को सुधारना ।

घ) हवाईअड्डों पर अत्याधुनिक तकनीक, उपकरण तथा कार्यशैलियों के माध्यम से सुरक्षित हवाई तथा भूमि प्रचालनों का प्रावधान

ङ) गैर-वैमानिक राजस्व बढ़ाने के लिए हवाईअड्डों पर व्यापार अवसर तथा अवसंरचना का सृजन ।

च) प्रचालन कुशलता को सुधारना

## भाग-II

### 2.0 वित्तीय शक्तियों की स्वायत्तता तथा प्रत्यायोजन

मिनी रत्न श्रेणी-I पी एस ई पर लागू नियमों के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निर्णय लेने संबंधी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं ।